FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______________ मुकाम ______________

लक्ष्मण सिंह बनाम TBR नगरफोर्ट

किस्म मुकदमा 128 LR एक्ट नं. 165 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
20/4/2022	अधिवक्ता वादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रकरण दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी/अप्रार्थीगण की तलबी जारी हो पत्रावली दिनांक 16/5/2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी देवली	
16/5/2022	ता.अवकाश/राज कार्य से/दोरे पर बाहर/टोंक ... गये हैं। पत्रावली दि. 15/6/2022 को	
15/6/2022	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट प्राप्त। अधिवक्ता प्रार्थी ने तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली व तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय/आदेश पृथक से शामिल हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी देवली	

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

मिसल संख्या –165/2022 निर्णय दिनांक :– 18/06/2022

<u>उनवानी प्रार्थना पत्र:–</u>

लक्ष्मण सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

<u>प्रार्थना–पत्र पत्थगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 99 खसरा नं 123 रकबा 0.90 है0 ग्राम जालिमगंज तहसील नगरफोर्ट प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। उक्त भूमि का पड़ोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबन्दी सम्वत **2073–2076** में अंकित खाता संख्या 99 खसरा नं 123 रकबा 0.90 है0 ग्राम जालिमगंज तहसील नगरफोर्ट की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार नगरफोर्ट को एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।

(भारत भूषण गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with CamScanner